न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी भरतपुर

पीठासीन अधिकारी :– श्री अनिल कुमार वार्ष्णेय (आर0ए0एस0)

अपील संख्या :– 14/2011 (223 आर0टी0एक्ट0)
आर.सी.एम.एस. संख्या :– 2011/00038/00045

उनवान

मु0 सोमोती पुत्री जगन्नाथ पत्नी घनश्याम जाति ब्राहम्ण निवासी गुर्दानदी तहसील बयाना।

.....अपीलान्ट

बनाम

1. ख्याली पुत्र श्री लौहरे जाति जाट निवासी कस्बा भुसावर तहसील भुसावर जिला भरतपुर।
   - 1/1. श्रीमती मुल्लो पुत्री ख्याली पत्नी श्यामलाल जाति जाट निवासी हन्तरा तहसील नदबई।
   - 1/2. हरप्यारी पत्नी ख्याली जाति जाट निवासी कस्बा भुसावर तह0 भुसावर।
   - 1/3. राधेश्याम पुत्र ख्याली जाति जाट निवासी कस्बा भुसावर तहसील भुसावर।
     - 1/3/1.श्रीमती लीलावती वेवा राधेश्याम
     - 1/3/2.कैलाशी } पुत्रान राधेश्याम
     - 1/3/3.कन्हैया }
     - 1/3/4.सुधा उर्फ जुगलो }
     - 1/3/5.जमना } पुत्रीयान राधेश्याम
     - 1/3/6.लक्ष्मी }

     जाति जाट नि0 कस्बा भुसावर तह0 भुसावर
   - 1/4. रामनिवास पुत्र ख्याली } जाति जाट निवासी कस्बा भुसावर, तह0 भुसावर, भरतपुर।
   - 1/5. जल्ली पुत्री ख्याली }
   - 1/6. मु0 मल्ला पुत्री ख्याली पत्नी मिठ्ठन सिंह जाति जाट निवासी भगवानपुर तह0 वैर।
   - 1/7. मु0 शीला पुत्री ख्याली पत्नी खैम सिंह जाति जाट निवासी गोपालगढ भरतपुर।

..... रैस्पोडेण्ट

अपील संख्या :– 25/2011 (223 आर0टी0एक्ट0)

उनवान

. मु0 सोमोती पुत्री जगन्नाथ पत्नी घनश्याम जाति ब्राहम्ण निवासी गुर्दानदी तहसील बयाना।

.....अपीलान्ट

बनाम

1. ख्याली पुत्र श्री लौहरे जाति जाट निवासी कस्बा भुसावर तहसील भुसावर जिला भरतपुर।
   - 1/1. श्रीमती मुल्लो पुत्री ख्याली पत्नी श्यामलाल जाति जाट निवासी हन्तरा तहसील नदबई।
   - 1/2. हरप्यारी पत्नी ख्याली जाति जाट निवासी कस्बा भुसावर तह0 भुसावर।
   - 1/3. राधेश्याम पुत्र ख्याली जाति जाट निवासी कस्बा भुसावर तहसील भुसावर।
     - 1/3/1.श्रीमती लीलावती वेवा राधेश्याम
     - 1/3/2.कैलाशी
     - 1/3/3.कन्हैया } पुत्र राधेश्याम
     - 1/3/4.सुधा उर्फ जुगलो
     - 1/3/5.जमना } पुत्री राधेश्याम
     - 1/3/6.लक्ष्मी

     जाति जाट नि0 कस्बा भुसावर तहसील भुसावर।
   - 1/4. रामनिवास पुत्र ख्याली } जाति जाट निवासी कस्बा भुसावर, तह0 भुसावर, भरतपुर।
   - 1/5. जल्ली पुत्री ख्याली }
   - 1/6. मु0 मल्ला पुत्री ख्याली पत्नी मिठ्ठन सिंह जाति जाट निवासी भगवानपुर तह0 वैर।
   - 1/7. मु0 शीला पुत्री ख्याली पत्नी खैम सिंह जाति जाट निवासी गोपालगढ भरतपुर।

..... रैस्पोडेण्ट

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

अपील विरूद्ध आदेश दिनांक 06.10.2001 न्यायालय सहायक कलक्टर, वैर प्रकरण संख्या 112/89 उनवानी सौमोती बनाम ख्याली वगै0 एवं 116/89 उनवानी ख्याली बनाम सौमोती।

उपस्थित :–
1. श्री दिनेश शर्मा एडवोकेट अपीलाण्ट ।
2. श्री राजेन्द्र सिंह एडवोकेट रैस्पो0 ।

निर्णय दिनांक :–19.12.2017

1. यह दोनों अपीलें इस न्यायालय में सहायक कलक्टर, वैर के निर्णय दिनांक 06.10.2001 के विरूद्ध प्रस्तुत की गयी हैं। चूँकि दोनों अपीलो के तथ्य व पक्षकार एक ही हैं, इसलिए दोनों अपीलों को एक ही निर्णय से निस्तारित किया जा रहा है। निर्णय की एक–एक प्रति दोनों पत्रावलियों में शामिल की जावें।

2. वाद संख्या 112/89 अधीनस्थ न्यायालय में अपीलाण्ट/वादिनी द्वारा अन्तर्गत धारा 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्ध रैस्पो0/प्रतिवादीगण इस आशय का पेश किया कि वाद पत्र में अंकित विवादित आराजी वाके ग्राम भुसावर तहसील वैर जिला भरतपुर में स्थित है, जिसमें अपीलांट/वादिनी 1/4 हिस्से की खातेदार काश्तकार एवं काबिज आराजी है तथा वादिनी ही राज्य सरकार की लगान आदि अदा करती चलीं आ रही है, उक्त आराजी वादिनी के बाबा की आराजी थी। बाबा के मरने के बाद वादिनी को पिता से विरासत में प्राप्त हुई है। रैस्पो0/प्रतिवादीगण या अन्य किसी को अपीलाण्ट/वादिनी के 1/4 हिस्से की आराजी से कोई संबंध व सरोकार नहीं रहा है। किन्तु रैस्पो0/प्रतिवादीगण लठैत, सरगना किस्म के आदमी है, जो कि लट्ठ के बल पर अपीलाण्ट/वादिनी की उक्त आराजी पर जबरन अवैध व गैर कानूनी रूप से हडपने की फिराक में है। अतः अपने हितों की रक्षार्थ, अधीनस्थ न्यायालय में वाद प्रस्तुत किया। उक्त वाद, अधीनस्थ न्यायालय ने बाद सुनवाई अपीलाधीन आदेश से खारिज कर दिया।

3. दूसरा वाद संख्या 116/89 रैस्पो0/वादीगण द्वारा अधीनस्थ न्यायालय में अन्तर्गत धारा 88, 89, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्ध अपीलाण्ट/प्रतिवादीगण इस आशय का पेश किया कि वाद पत्र में अंकित विवादित आराजी वाके ग्राम भुसावर में रैस्पो0/वादीगण 1/4 हिस्से पर संवत 2012 से पहले से वहैसियत खातेदार काबिज आराजी है। अपीलाण्ट/प्रतिवादीगण का विवादित आराजी से कोई संबंध सरोकार नही रहा है। जगन्नाथ की मृत्यु हुए करीब 20 वर्ष हो चुके हैं। रैस्पो0/वादीगण विगत 30 वर्षो से विवादित आराजी पर शिकमी काश्त दर्ज किया हुआ है, अतः रैस्पो0/वादीगण एडवर्स पजेशन के आधार पर भी खातेदार हो चुका है। अतः वाद प्रस्तुत कर विवादित आराजी में खातेदारी अधिकारों की घोषणा व अपीलाण्ट/प्रतिवादीगण को स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द करने का निवेदन किया। अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त वाद, बाद सुनवाई अपीलाधीन आदेश से डिक्री कर दिया।

4. उक्त दोनों निर्णय एवं डिक्री दिनांक 06.10.2001 के विरूद्ध, अपील संख्या 147/2004 एवं 148/2004 उनवानी मु0 सौमोती बनाम ख्याली इस न्यायालय में पेश हुई, जो आदेश दिनांक 29.10.2005 से आंशिक स्वीकार की जाकर, अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित की गयी। उक्त आदेश की अपील माननीय राजस्व मण्डल राज0 अजमेर में होने एवं माननीय राजस्व मण्डल

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

राज0 अजमेर के निर्णय दिनांक 09.11.2010 द्वारा पुनः तनकीवार निर्णय पारित करने हेतु इस न्यायालय को प्रेतिप्रेषित की गयी हैं।

5. अपीलें माननीय राजस्व मण्डल राज0 अजमेर से प्राप्त होने पर पुनः दर्ज रजिस्टर की गई एवं रेस्पोडेण्ट व अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब किया गया। दोनों पक्षों के अधिवक्तागणों की बहस सुनी गई।

6. विद्वान अधिवक्ता अपीलाण्ट ने अपील मीमो के तथ्यों को दौहराते हुए तर्क प्रस्तुत किये कि निर्णय व डिक्री अधीनस्थ न्यायालय खिलाफ कानून व रूयेदाद मिसिल है, जो काबिल खारिजी है। विवादित आराजी के 1/4 भाग का खातेदार, अपीलाण्ट का पिता जगन्नाथ था। जगन्नाथ की मृत्यु के बाद अपीलाण्ट वहैसियत वारिस खातेदार काश्तकार चली आ रही है। रैस्पो0 का विवादित आराजी पर किसी प्रकार का कोई कब्जा काश्त नहीं रहा है एवं ना ही अपीलाण्ट के पिता जगन्नाथ ने विवादित आराजी को कभी काश्त पर दिया है। रैस्पों0 द्वारा पटवारी हल्का से साजिश कर फर्जी तरीके से राजस्व रिकार्ड में बिना किसी आधार के शिकमी दर्ज करा लिया है। रैस्पो0 या उसके वारिसान् का विवादित आराजी पर ना तो कभी कब्जा रहा और राजस्व रिकार्ड में भी शिकमी के इन्द्राज को निरस्त कर दिया, राजस्व रिकार्ड में अपीलाण्ट वहैसियत खातेदार दर्ज है एवं शिकमी का अधिकार इनहैरीटेबिल नहीं है। इसलिए अधीनस्थ न्यायालय ने रैस्पो0 के हक में दावा डिक्री करने में कानूनी त्रुटि की है। अपने तर्को के समर्थन में आर0बी0जे0 2012 पेज 420, 2016 पेज 340, आर0आर0डी0 1996 पेज 104, 1989 पेज 366, 1991 पेज 428, 1972 पेज 202, 1996 पेज 570, आर0आर0टी0 2006(2) पेज 789, 2014(1) पेज 695(एस0सी0) का हवाला देते हुए, अपील अपीलाण्ट स्वीकार की जाकर, अधीनस्थ न्यायालय के अपीलाधीन आदेश को निरस्त करते हुए, दावा अपीलाण्ट/वादिनी डिक्री किये जाने का निवेदन किया।

7. विद्वान अधीवक्ता रैस्पो0 ने जवाबी बहस में तर्क प्रस्तुत किये कि रैस्पो0 का पिता ख्याली विवादित आराजी पर संवत 2009 से बदस्तूर शिकमी काश्तकार के रूप में काश्त करता चला आ रहा है तथा संवत 2012 व वक्त काश्तकारी अधिनियम के प्रभाव में आने के दिन शिकमी काश्तकार राजस्व अभिलेख में दर्ज था। इसलिए मृतक ख्याली पिता रैस्पो0 को स्वतः मुताबिक कानून खातेदारी अधिकार प्राप्त हो गये है। शिकमी काश्तकार को शिकमी संविदा (कान्ट्रेक्ट आफ टिनेन्सी) की बाबत् किसी प्रकार से प्रमाणित करने की आवश्यकता नहीं होती है। बल्कि राजस्व अभिलेख की प्रविष्टियों के आधार पर ही खातेदारी प्राप्त होगी। अपीलाण्ट अथवा उनके पिता का विवादित आराजी पर संवत 2009 से ता हाल तक कब्जा नहीं रहा है एवं ना ही वक्त दावा दायरी जगन्नाथ का कब्जा था तो ऐसी सूरत में उसके नाम हो रही गलत प्रविष्टियों के आधार पर दावा डिक्री नहीं किया जा सकता है। अधीनस्थ न्यायालय ने सभी तथ्यों पर गौर फरमाते हुए, पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्य के आधार पर रैस्पो0 का दावा वैधानिक रूप से डिक्री किया है। जिसमें न्यायालय श्रीमान् द्वारा किसी प्रकार से हस्तक्षेप करने की कोई आवश्यकता शेष नहीं रहती है। इसके अतिरिक्त उनका यह भी कथन है कि रैस्पो0 को प्रतिकूल कब्जे के आधार पर भी खातेदारी अधिकार प्राप्त हो चुके हैं। अपने तर्को के समर्थन में न्यायिक नजीर आर0आर0डी0 2000 पेज 516, 1989 पेज 651, 1988 पेज 133, डी0एन0जे0 2003(1) पेज 248, 2012(2) पेज 573 का हवाला देते हुए, अपील अपीलाण्ट खारिज किये जाने का निवेदन किया।

8. पत्रावलियों का अवलोकन किया तथा बहस उभयपक्ष पर मनन किया। अधीनस्थ न्यायालय ने इस वाद को तय करने हेतु दादरसी सहित 4 तनकियॉ कायम की गई हैं। तनकीवार विवेचन निम्न प्रकार हैं :–

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

9. तनकी संख्या 01 व 02 :– उक्त दोनों तनकी एक दूसरे की पूरक हैं। अपीलाण्ट व रैस्पो0 दोनों के परस्पर विरोधी दावो को स्पष्ट करने के लिए कायम की गई हैं, अतः एक साथ विवेचना की जा रही हैं। अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त तनकी वहक प्रतिवादी ख्याली खिलाफ सौमोती निर्णित की हैं। हम पाते हैं कि प्रकरण में संवत 2012 का अभिलेख महत्वपूर्ण हैं। पत्रावली पर उपलब्ध जमाबन्दी संवत 2012–15 के इन्द्राज अस्पष्ट हैं। जितना पढना में आ पाया अनुसार, जमाबन्दी के खाता संख्या 1802 पर खज्जू वगै0 मुन्दरजे खाता नम्बर 1801 अंकित है। परन्तु खाता संख्या 1801 पर टिकट चस्पा होने के कारण अंकन अस्पष्ट है। इसके अलावा काश्त मंगी व रामदयाल पिसरान कन्हैया वहिस्सा बराबर मजकूर निस्फ अंकित है। किन्तु ''मजकूर'' को स्पष्ट करने वाले इन्द्राज नहीं है। इसके आगे अपठनीय सा इन्द्राज श्री बल्द मज्जा करन ब्रा0 निस्फ शिकमी पिसरान जगन्नाथ मौरोसी मजकूर इन्द्राज काटा गया है एवं इसके आगे ख्याली बल्द लोहरे जाट, चिरमोली बल्द नानगा चौथाई शिकमी अंकित है। परन्तु यह किस मुख्य काश्तकार के शिकमी हैं, अंकित नहीं है। संवत 2012–15 के इन्द्राज संवत 2016 की जमाबन्दी में निरन्तर होने थे। जमाबन्दी संवत 2016 में भी मजकूर स्पष्ट करने वाले इन्द्राज खाता संख्या 826 पर भी टिकट चस्पा होने के कारण अंकन अस्पष्ट है। श्रीलाल बल्द मज्जा चौथाई अंकित है, जबकि संवत 2012–15 में श्रीलाल बल्द मज्जा का इन्द्राज काटा गया है। इस प्रकार पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों में इन्द्राजों की प्रमाणिकता अस्पष्ट होने के कारण निर्णय, अपरिपक्व अपूर्ण साक्ष्यों पर आधारित है। लिहाजा हम उभयपक्ष को पूर्ण स्पष्ट साक्ष्य प्रस्तुत करने का अवसर दिया जाना आवश्यक समझते हैं। लिहाजा अपील अपीलाण्ट आंशिक स्वीकार योग्य पाते हैं।

10. अतः आदेश है कि दोनों अपील अपीलण्ट आंशिक स्वीकार की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी , वैर के आदेश दिनांक 06.10.2001 निरस्त किये जाते हैं एवं प्रकरण इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि उभयपक्ष को सुनवाई व साक्ष्य का अवसर प्रदान करते हुए, पुनः विधिसम्मत निर्णय पारित करें। उभयपक्षकारान को भी निर्देशित किया जाता है कि वह अधीनस्थ न्यायालय में दिनांक 25.01.2018 को उपस्थित होवें। दोनों पत्रावली फैशल शुमार की जाकर नम्बर से कम की जावें तथा बाद जाब्ता दाखिल दफ्तर होवें। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख, निर्णय की प्रति के साथ लौटाया जावें।

11. निर्णय आज दिनांक 19.12.2017 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

(अनिल कुमार वार्ष्णेय)
भू प्रबन्ध अधिकारी
पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी
भरतपुर